

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक
(परफार्मेन्स बजट)
वर्ष 2019-20

ज्ञान बढ़े और काम बढ़े
दिव्यांगजन का मान बढ़े



उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण करते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का वर्ष 2019-20 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफार्मेंन्स बजट) प्रस्तुत है।

प्रस्तुत आय-व्ययक दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। समाज के सबसे असहाय, दुर्बल एवं शासकीय सहायता के सर्वाधिक पात्र वर्ग दिव्यांगजन के उत्थान एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाओं को अत्यधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। आशा है यह आय-व्ययक उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा।

**अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग**

संस्कृत-संज्ञा

संस्कृत-संज्ञा का अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है। इसका अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है। इसका अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है।

संस्कृत-संज्ञा का अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है। इसका अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है। इसका अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है।

संस्कृत-संज्ञा का अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है। इसका अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है। इसका अर्थ है कि वह जो किसी भी वस्तु का नाम है वह संस्कृत-संज्ञा ही है।

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.	भूमिका	01-7
2.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की संरचना	8
3.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व	8
4.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ।	9-18
5.	विभाग के कार्यक्रम/योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य	19
6.	ई-गवर्नेन्स की प्रगति	20
7.	वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि का विवरण	21-24
8.	वित्तीय आवश्यकताओं, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण	25-27
9.	उद्देश्यवार वर्गीकरण	28
10.	वित्तीय संसाधनों के स्रोत	29
11.	वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य	30-35
12.	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/भरे पदों का विवरण	36-41
13.	प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट	42

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश
वर्ष 2019-20 का कार्यपूति दिग्दर्शक आय-व्ययक
परफार्मेन्स बजट

भूमिका

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का दिव्यांगतावार वर्गीकरण निम्नवत है :-

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार
दिव्यांगों की संख्या का विवरण

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या	3166615	990899	4157514
पुरुष	1803715	560456	2364171
महिला	1362900	430443	1793343
दृष्टि दिव्यांगता	579182	184806	763988
पुरुष	307821	100041	407862
महिला	271361	84765	356126
वाक् दिव्यांगता	202152	64434	266586
पुरुष	114665	36505	151170
महिला	87487	27929	115416
श्रवण दिव्यांगता	753704	274131	1027835
पुरुष	398665	146514	545179
महिला	355039	127617	482656
अस्थि दिव्यांगता	543203	134510	677713

**वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 30प्र0 के समस्त 71 जनपदों में
(तत्समय) निवासरत महिला एवं पुरुष दिव्यांगजन की जनसंख्या का
जनपदवार विवरण निम्नवत है:-**

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
1	आगरा-	120117	67708	52409
2	मैनपुरी-	33563	19796	13767
3	मथुरा-	51179	30154	21025
4	फिरोजाबाद-	50582	29718	20864
5	अलीगढ़-	75974	43398	32576
6	महामाया नगर	26547	15661	10886
7	एटा-	31245	18238	13007
8	कासगंज	23771	13745	10026
9	झांसी-	38796	22283	16513
10	ललितपुर-	17985	10413	7572
11	जालौन-	31251	18283	12968
12	हमीरपुर-	19055	11116	7939
13	महोबा-	15681	8955	6726
14	बांदा-	27972	16630	11342
15	चित्रकूट-	15403	8833	6570
16	लखनऊ-	122113	68070	54043
17	रायबरेली-	62230	34855	27375
18	हरदोई-	74082	43818	30264
19	उन्नाव-	63730	36261	27469
20	सीतापुर-	89157	51851	37306
21	खीरी-	71959	41458	30501
22	बरेली-	92300	53187	39113
23	बदायूं-	69688	40796	28892
24	पीलीभीत-	37181	22090	15091
25	शाहजहांपुर-	58073	33730	24343
26	मेरठ-	66225	37888	28337

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
27	बागपत-	22265	13158	9107
28	गाजियाबाद-	144305	79869	64436
29	गौतमबुद्ध नगर-	35955	20506	15449
30	बुलन्दशहर-	60925	35133	25792
31	सहारनपुर-	61271	35207	26064
32	मुजफ्फरनगर-	65775	38545	27230
33	मुरादाबाद-	82774	47205	35569
34	जे०पी० नगर-	25873	15134	10739
35	रामपुर-	38210	21766	16444
36	बिजनौर-	61638	35492	26146
37	वाराणसी-	96924	54297	42627
38	चन्दौली-	32051	18602	13449
39	गाजीपुर-	79877	44416	35461
40	जौनपुर-	117683	63170	54513
41	मिर्जापुर-	41840	24247	17593
42	सन्त रविदास नगर-	27755	16145	11610
43	सोनभद्र-	31048	17810	13238
44	गोरखपुर	100730	55913	44817
45	महाराजगंज-	61861	34309	27552
46	देवरिया-	71103	39211	31892
47	कुशीनगर-	139672	75176	64496
48	बस्ती-	43484	24084	19400
49	सन्त कबीर नगर-	26997	14993	12004
50	सिद्धार्थनगर-	44168	24477	19691
51	आजमगढ़-	76114	42559	33555
52	मऊ-	38910	21725	17185
53	बलिया-	91847	51016	40831
54	प्रयागराज-	178275	99826	78449
55	कौशाम्बी-	42213	23724	18489
56	फतेहपुर-	55333	32222	23111

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
57	प्रतापगढ़-	77912	42326	35586
58	कानपुर नगर-	116292	68633	47659
59	कानपुर देहात	35804	21323	14481
60	फरुखाबाद-	31497	19041	12456
61	कन्नौज-	31308	18692	12616
62	औरध्या-	27645	16701	10944
63	इटावा-	31196	18788	12408
64	अयोध्या-	45767	25671	20096
65	अम्बेडकरनगर-	46580	25864	20716
66	सुल्तानपुर-	72931	40376	32555
67	बाराबंकी-	72256	41381	30875
68	गोण्डा-	62452	35729	26723
69	बलरामपुर-	30500	17573	12927
70	श्रावस्ती	20921	11885	9036
71	बहराईच-	71718	41316	30402
	कुल योग	4157514	2364171	1793343

नोट: शामली, हापुड़, सम्भल, अमेठी, बाद में सृजित होने के कारण पूर्व जनपद में ही दिव्यांगजनों का आगणन सम्मिलित है।

समाज के विशेष रूप से असहाय, निराश्रित सुविधाविहीन दिव्यांग वर्ग के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 12 अगस्त, 1995 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया है।

दिव्यांगता की परिभाषा

दिव्यांगजन के समग्र विकास हेतु भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया, जो 19 मार्च, 2017 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय एवं 102 धाराएँ हैं। इस अधिनियम की धारा 2(द) में संदर्भित निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :-

2(द) "संदर्भित निःशक्त व्यक्ति": से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट निःशक्तता के 40 प्रतिशत से अन्धन का अभिप्रेत है।

उक्त अधिनियम 2016 की धारा 2(यग) में निःशक्तता (दिव्यांगता) की श्रेणियों एवं उनकी परिभाषाएँ निम्नानुसार दी गयी हैं :-

1- शारीरिक निःशक्तता-

(अ) गतिविषयक निःशक्तता (व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध हैं जिसका परिणाम पेशीकंकाली और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत-

(क) "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो या है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है -

- I. हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरूपता नहीं है;
- II. व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किन्तु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;
- III. अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्क घात" से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं से भारी के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होती है :

(ग) "बौनापन" से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिकी दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फिट दस इंच (147 सेमी) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) "बहुदुश्पोषण" से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुश्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है।

(ङ) "अम्ल आक्रमण पीड़ित" से अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दृष्टिगत ह्रास -

(क) "अंधता" से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, -

- I. दृष्टि का पूर्णतया अभाव;
- II. सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशील 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्धन; या
- III. 10 डिग्री से अन्धन किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्, -

- I. बेहतर आँख में सुधारकारी लेंसों के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेहल) दृश्य संवेदन शीलता; या
- II. 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र में सीमाएँ।

(इ) "श्रवण भाक्ति का ह्रास" -

(क) "बधिर" से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति" से दोनों कानों से संवाद आवृत्ति में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ई) "अभिवाक् और भाषा निःशक्तता" से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी निःशक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2- "बौद्धिक निःशक्तता" से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य की रेंज है, जिसके अन्तर्गत -

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता" से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है इसके अन्तर्गत बोधक निःशक्तता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी है;

(ख) "स्वलीनता स्फक्द्रम विकार" से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3- मानसिक व्यवहार-

"मानसिक रूग्णता" से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4- निम्नलिखित के कारण निःशक्तता-

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे-

I. "बहु-स्केलेरोसिस" से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

II. "पार्किंसन रोग" से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता, और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों से संबंध मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचालन डोपामई के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति-

I. "हेमोफीलिया" से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है।

II. "थेलेसीमिया" से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है।

III. "सिक्कल कोशिका रोग" से होमोलेटिक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। "हेमोलेटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है:

5- बहुनिःशक्तता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट निःशक्तता) जिसके अन्तर्गत बधिरता, अंधता जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गम्भीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गम्भीर दशाएँ अभिप्रेत हैं।

6- कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएँ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की संरचना

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव के पद तथा 3 अनुभाग सृजित हैं।

विभाग के अधीन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग निदेशालय कार्यरत है जिसमें निदेशक का एक पद तथा संयुक्त निदेशक के चार पद तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी का एक पद सृजित है।

उपनिदेशक के 20 पद – उपनिदेशक के 2 पद मुख्यालय स्तर तथा 18 पद मण्डल स्तर (प्रदेश के समव्य हेतु) में सृजित हैं तथा 75 जनपदों में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद सृजित हैं।

विभाग में सृजित एवं भरे पदों के विवरण हेतु परिशिष्ट 'क' तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विभागीय संगठन का चार्ट परिशिष्ट 'ख' अवलोकनीय है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व

विभाग के उद्देश्य एवं कार्य –

1. दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
3. दिव्यांगजन विकास के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, संस्थाओं, के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
5. सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ

1- संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर :

लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक-एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रुखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रुखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता -60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता-40 है (कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र का है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000/- तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु० 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है। इन विद्यालयों में लाभान्वितों का विवरण निम्नवत है-

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2017-2018	2018-2019	2019-2020
05	आवासीय	330	261	330	330
	अनावसीय	460	338	460	460
	योग	790	599	790	790

संकेत राजकीय मूक बधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनो के निर्माण हेतु 385.72 लाख तथा संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज गोरखपुर हेतु रूपया 220.96 लाख एवं संकेत मूक बधिर जूनियर हाई स्कूल मोहान रोड लखनऊ इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण हेतु रूपया 40.00 लाख इस प्रकार कुल रूपया 646.68 लाख का प्राविधान किया गया।

2- स्पर्श(बालक / बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय)लखनऊ, गोरखपुर, बाँदा, सहारनपुर, मेरठ :

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक, बाँदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक-एक इण्टर कालेज संचालित है। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200-200 हैं तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100-100 है अनावासीय छात्र क्षमता 25-25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्धति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत

छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/-होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रति छात्र/छात्रा रू0 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है, तथा अनावसीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इन विद्यालयों में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष लाभान्वितों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय/अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2017-2018	2018-2019	2019-2020 (लक्ष्य)
07	आवासीय	875	631	875	875
	अनावसीय	175	88	175	175
	योग	1050	719	1050	1050

स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित इण्टर कालेज मेरठ, लखनऊ हेतु 146.75 लाख एवं स्पर्श राजकीय बालक/बालिका विद्यालय सहारनपुर एवं नवीन स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय की स्थापना हेतु 608.00 लाख एवं स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज गोरखपुर हेतु रूपया 50.00 लाख, इस प्रकार कुल रूपया 804.75 लाख का प्राविधान किया गया।

3. ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा प्रयागराज।

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50-50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/- प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा 2000/- रू0 प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है। विद्यालयों में लाभान्वित छात्रों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय/अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2017-2018	2018-2019	2019-2020 (लक्ष्य)
02	आवासीय	100	39	100	100
	अनावसीय	0	0	0	0
	योग	100	39	100	100

मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालिकाओं के लिए राजकीय विद्यालय ममता बाराबंकी हेतु रूपया 100.60 लाख का प्राविधान वर्ष 2019-20 के लिए किया गया है।

4. प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ़—

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ़ तथा लखनऊ में एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50-50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय ₹ 1000/- तक होती है उनको आवासीय सुविधा के साथ भरण पोषण हेतु ₹ 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है। इन विद्यालयों में लाभान्वित छात्रों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2017-2018	2018-2019	2019-2020 (लक्ष्य)
02	आवासीय	100	64	100	100
	अनावसीय	0	0	0	0
	योग	100	64	100	100

प्रयास विद्यालय लखनऊ का उच्चीकरण हेतु रूपया 40.00 लाख तथा प्रयास बालको का विद्यालय प्रतापगढ़ का भवन निर्माण हेतु रूपया 250.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रूपया 290.00 लाख का प्राविधान वर्ष 2019-20 में किया गया।

5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ।

दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामाना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ/गोरखपुर में छात्र/छात्राओं हेतु एक-एक, प्रयागराज/मेरठ में छात्रों हेतु एक-एक कुल छः छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200-200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है।

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों एवं उनके छात्रावासों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹ 2278.85 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल ₹ 1688.20 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 2920.80 लाख का प्राविधान है।

6. कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ गोरखपुर तथा बॉदा—

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बॉदा में एक-एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50-50 तथा अनावसीय संवासी क्षमता 50-50 है। बॉदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावसीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कर्मशालाओं में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष पूर्ति का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:—

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2017-2018	2018-2019	2019-2020 (लक्ष्य)
03	आवासीय	150	22	150	150
	अनावसीय	125	0	125	125
	योग	275	22	275	275

7. कौशल विकास केन्द्र(शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव –

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावसीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रू0 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

8. कौशल विकास केन्द्र(मूक-बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला) आगरा :-

जनपद आगरा में मूक बधिरों के लिये एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला स्थापित है। जिसमें आवासीय संवासियों की क्षमता 25 तथा अनावसीय संवासियों की स्वीकृत क्षमता 25 (कुल 50) है। इन संवासियों को रू0 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस केन्द्र में कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कर्मशालाओं में संवासियों की स्वीकृत क्षमता एवं पूर्ति का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:-

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2017-2018	2018-2018	2019-2020 (लक्ष्य)
01	आवासीय	25	0	25	25
	अनावसीय	25	0	25	25
	योग	50	0	50	50

दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 244.42 लाख के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रू0 104.26 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 259.29 लाख का प्राविधान है।

9- बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं मेरठ :-

सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक-एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50-50 (कुल 100) है। जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगजन को बाजार की माँग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष

2018-19 हेतु कुल रू0 23.01 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रू0 12.27 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू 23.01 लाख का प्राविधान है।

इन बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्रों में स्वीकृत क्षमता / पूर्ति का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:-

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2017-2018	2018-2019	2019-2020 (लक्ष्य)
02	आवासीय	0	0	0	0
	अनावसीय	100	36	100	100
	योग	100	36	100	100

10. निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ :-

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरुषों हेतु एक-एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50-50 है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को प्रवेश देकर उनको आश्रय प्रदान किये जाने के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल रू0 91.15 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रू0 73.74 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 153.09 लाख का प्राविधान है।

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2017-2018	2018-2019	2019-2020 (लक्ष्य)
03	आवासीय	150	123	150	150
	अनावसीय	0	0	0	0
	योग	150	123	150	150

प्रदेश में क्षेत्रीय आधार पर 07 राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु रू. 1800.00 लाख का बजट प्राविधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

11. अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान वाराणसी का संचालन:-

इस संस्थान में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान संचालित है इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 62.71 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रू0 16.69 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 73.20 लाख का प्राविधान है।

12. मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर :-

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी

इंसेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजुकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल रू0 21.53 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रू0 12.50 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 35.76 लाख का प्राविधान है।

13. बचपन डे केयर की स्थापना एवं संचालन:-

सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त करायी गयी धनराशि से जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा, सहारनपुर, झाँसी, बरेली, गौतमबुद्धनगर (प्रत्येक 30 बच्चों हेतु) में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित किये गये थे। वर्ष 2008-09 तक इन केन्द्रों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया था, तदोपरान्त वर्ष 2009-10 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उक्त योजना को विभागीय बजट से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बचपन डे केयर सेन्टर में मानदेय पर समन्वयक तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेन्टर पर 1-1 फिजियोथिरेपिस्ट, साइकोकाउन्सलर, स्पीच ट्रेनर/विशेषज्ञों की सेवायें प्रति विजिट के आधार पर तथा अटेन्डेन्ट, आया, सफाई कर्मी, चौकीदार की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। इन सेन्टर्स में 03 से 07 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ-साथ अवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 332.80 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रू0 227.39 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 862.30 लाख का प्राविधान है।

वर्तमान में 18 जनपदों में केन्द्र स्थापित है। 07 नवीन बचपन डे-केयर सेन्टर की स्थापना व संचालन हेतु रू. 1055.25 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

14. समेकित विद्यालयों की स्थापना :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में समेकित विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल रू0 1840.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रू0 1750.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 3000.00 लाख का प्राविधान है।

15 डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) :-

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ बी0ए0, एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डबलू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अन्तर्गत 29 विभागों के बनने का प्राविधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील है। विश्वविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात् 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रू0 3591.58 लाख तथा पूँजीगत निर्माण हेतु

रु0 630.41 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक रु0 2423.69 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रु0 4000.00 लाख तथा पूंजीगत निर्माण हेतु रु0 49.00 लाख का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रु0 500.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वासन केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

16. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक 914/65-2-2017-21-96 दिनांक 06 जून 2017 द्वारा पेंशन वृद्धि रु0 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर रु0 500/- प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामान्य पक्ष के दिव्यांगजन हेतु कुल रु0 56650.00 लाख तथा एस0सी0पी0 पक्ष में रु0 900.00 लाख एवं टी0एस0पी0 हेतु रु0 2.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष क्रमशः 01 फरवरी 2019 तक रु0 42605.33 लाख एवं एस0सी0पी0 हेतु रु. 675.00 लाख एवं टी0एस0पी0 पक्ष में रु0 0.99 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु0 61200.00 लाख, एस0सी0पी0 में रु0 900.00 लाख व टी0एस0पी0 में रु0 2.00 लाख का प्राविधान है।

17. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रु0 8000/- तक का अनुदान कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु सामान्य पक्ष के दिव्यांगजनों हेतु रु0 3090.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु0 240.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक क्रमशः रु0 1417.76 लाख तथा रु0 123.26 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु0 240.00 लाख का प्राविधान है।

18. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत दम्पतियों में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु0 20000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु0 35,000/- तथा दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 264.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक रु0 38.95 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 264.00 लाख का प्राविधान है।

19. दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति :-

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र दिव्यांगजन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु में कुल रु0

1236.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध था। आवश्यकतानुसार रूपया 200.00 लाख का पुनर्विनियोग विकलांगों को उ०प्र० राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति मद में कराया गया वर्तमान में रूपया 1036.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध है तथा उ०प्र०स० परि०नि० कालम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रूपया 2000.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध था। वर्तमान में रूपया 2200.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध है। उपर्युक्त प्राविधान के सापेक्ष उ०प्र०स०परि०नि० को प्रतिपूर्ति हेतु 01 फरवरी 2019 तक रूपया 1036.00 लाख एवं रूपया 2200.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रूपया 1500.00 लाख उ०प्र०स०परि०नि० को प्रतिपूर्ति हेतु रूपया 2000.00 लाख का प्राविधान है।

20. दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रू० 13.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक रू० 7.54 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू० 13.00 लाख का प्राविधान है।

21. स्वैच्छिक संगठनों / संस्थाओं को सहायता:—

दिव्यांगजन सशक्तीकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं / संगठनों को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 33.00 लाख का प्राविधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू० 35.00 लाख का प्राविधान है।

22. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू० 375.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 कुल रू० 73.41 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू० 500.00 लाख का प्राविधान है।

23. दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना:—

राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल रू० 3.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रू० 2.30 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू० 4.00 लाख का प्राविधान है।

24. ब्रेल प्रेस का संचालन :-

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र / छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास

निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के पठन पाठन हेतु सम्बन्धित बिषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है। ब्रेल प्रेस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 15.46 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक ₹0 10.09लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 217.85 लाख का प्राविधान है।

25. कुष्ठावस्था पेंशन योजना :-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बी0पी0एल0 सीमा के अन्तर्गत आते हो एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हो, को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को ₹0 2500 /- प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना की नियमावली प्राख्यापित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल ₹0 2270.70 लाख के वजट प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक ₹. 1731.68 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 3000.00 लाख का प्राविधान है।

26. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण।

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदन संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹0 20.00 लाख के वजट प्राविधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक ₹. 19.49 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 20.00 लाख का प्राविधान है।

27. दिव्यांगजन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा-1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणवद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ₹0 500.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में ₹0 0.01 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

28. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ₹0 6500.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में ₹0 50.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

29. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटोराइज्ड ट्राई-साइकिल की योजना-

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रतिपूर्ति प्रदेश के समस्त प्रति लोकसभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजन को मोटोराइज्ड ट्राई-साइकिल निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। प्रति मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल रु. 3700.00 की दर से 8000 मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिलों हेतु रु. 2960.00 लाख की धनराशि की आवश्यकता है। जनपदों में वितरण शिविर आयोजित किये जाने हेतु चिन्हांकन, वितरण आदि हेतु प्रशासनिक मद में मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु आवश्यक धनराशि का 10 प्रतिशत की धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः रु. 3256.00 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

30. दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन -

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 88 में दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि के गठन की व्यवस्था दी गयी है। तदक्रम में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रु. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है एवं रु. 500.00 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

31. नवीन बचपन नर्सरी स्कूलों की स्थापना व संचालन -

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत चयनित 08 जनपदों में प्री-प्राइमरी स्तर पर विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु बचपन डे-केयर सेन्टर की स्थापना कराया जाना है। इन 08 जनपदों (सोनभद्र, चन्दौली, श्रावस्ती, बहराइच, चित्रकूट, बलरामपुर, फतेहपुर व सिद्धार्थनगर) में से चित्रकूट जनपद में पूर्व से बचपन डे-केयर सेन्टर स्थापित है, चित्रकूट को छोड़कर 07 नये जनपदों में बचपन डे-केयर सेन्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तदनुसार इनकी स्थापना व संचालन हेतु अनावर्ती व आवर्ती मदों में वास्तविक आवश्यकता के दृष्टिगत रु. 1055.25 लाख का बजट प्राविधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य

1. दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 62102.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 1035000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
2. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रू0 3000.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 10000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रू0 3740.00 लाख के प्राविधान से लगभग 62300 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
4. शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रू0 264.00 लाख की धनराशि से लगभग 1320 दम्पतियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
5. दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत रू0 106.04 लाख की धनराशि से लगभग 1060 दिव्यांगजनो को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू0 500.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू0 0.01 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
7. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू0 6500.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू0 50.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
8. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रू0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
9. डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 20.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
10. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रू0 3000.00 लाख का प्राविधानित है।
11. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये जनपद सोनभद्र, कुशीनगर में आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कुल रू0 50.00 लाख का प्राविधान है।
12. स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रू0 904.75 लाख का प्राविधान है।
13. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 500.00लाख का प्राविधान है।
14. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 500.00 लाख का प्राविधान है।
15. दिव्यांगजनो के लिए प्रदेश के प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजनो को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपया 3256.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

ई- गवर्नेन्स की प्रगति

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में ई गवर्नेन्स की ओर विशेष कार्यवाही की जा रही हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटरों का उपयोग दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों को बजट आवंटन, बी0एम0-8 का संकलन एवं बी0एम0-13 तैयार किये जाने, बजट प्रस्ताव, बजट नियन्त्रण, वार्षिक योजना एवं योजनाओं की प्रगति का संकलन कर अनुश्रवण हेतु किया जा रहा है। ई-गवर्नेन्स की धारणा को विकसित करने हेतु मुख्यालय स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-85/65-2-2011-95(विविध)/2005, दिनांक- 31 मई, 2011 द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं 1- दिव्यांग व्यक्ति द्वारा ऋण हेतु आवेदन, 2- दिव्यांग व्यक्ति के शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन 3- दिव्यांग व्यक्ति के कृत्रिम अंग/उपकरण क्रय हेतु सहायता के लिए आवेदन सम्बन्धी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी सिस्टम द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई-फार्म्स एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से ई-फार्म्स पोर्टल साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा, जिसकी जानकारी आवेदक को किसी भी सेन्टर पर हो सकेगी। इस प्रकार योजनाओं का लाभ पात्र दिव्यांगजनों को ई-गवर्नेन्स के माध्यम से बिना विलम्ब के सुविधापूर्वक प्राप्त हो सकेगा।

वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि का विवरण

धनराशि—(लाख रू०) में

1.	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिये सहायता	3500.00
2.	नेत्रहीन मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान	61200.00
3.	मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता	500.00
4.	डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण	20.00
5.	मुख्यालय / मण्डलीय / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	2580.26
6.	विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिये राजकीय विद्यालयों / छात्रावासों का संचालन	2920.80
7.	विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिये आश्रित कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र	259.29
8.	मानसिक मंदित केन्द्र सह आश्रय गृहों का संचालन	153.09
9.	दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को क्षतिपूर्ति	3500.00
10.	दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों को एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	13.00
11.	विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थानों को सहायता।	35.00
12.	शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा दिव्यांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार	264.00
13.	दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	4.00
14.	कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना	23.01
15.	.अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग संस्थान वाराणसी	73.20
16.	दिव्यांगजन हेतु गोरखपुर में मनोविकास केन्द्र की स्थापना	35.76
17.	असहाय दिव्यांगजन की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	640.00
18.	बचपन नर्सरी केन्द्र की स्थापना	862.30
19.	दुकान निर्माण(अनुदान)	26.51

20.	कार्यालय आयुक्त दिव्यांगजन	152.25
21.	ब्रेल प्रेस का संचालन	217.85
22.	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ	4000.00
23.	कुष्ठावस्था दिव्यांग भरण पोषण अनुदान	3000.00
24.	मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालिकाओं के लिये राजकीय विद्यालय ममता का संचालन	100.60
25.	विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा	60.00
26.	सिपडा योजनान्तर्गत सार्वजनिक / विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	0.01
27.	सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	50.00
28.	दिव्यांगजन के लिये राज्य निधि का गठन	500.00
29.	मोटराइज्ड ट्राई साइकिल	3256.00
30.	बचपन डे केयर सेन्टर	1055.25
	योग	89002.18

वर्ष 2019-20 में पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि का विवरण

धनराशि—(लाख रू0) में

1.	दिव्यांगजन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा 1995 का कार्यान्वयन	500.00
2.	सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधारहित बनाया जाना	6000.00
3.	समेकित विद्यालयों, का भवन निर्माण	3000.00
4.	संकेत राजकीय मूक बधिर विद्यालय गोरखपुर में छात्रावास भवन व आवासीय भवनों का निर्माण	385.72
5.	संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज गोरखपुर का भवन निर्माण	220.96
6.	प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय	250.00
7.	स्पर्श राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना	100.00
8.	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ	49.00
9.	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण	500.00

10.	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	500.00
11.	जनपद सोनभद्र में संकेत मूकबधिर बालकों के लिए राजकीय इन्टर कालेज	25.00
12.	जनपद कुशीनगर में संकेत मूकबधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इन्टर कालेज	25.00
13.	मानसिक मंदित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण कार्य	1800.00
14.	शासकीय जन उपयोगी भवनो में दिव्यांग जन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन	500.00
15.	प्रयास राजकीय शारीरिक रूप से लक्ष्य बालकों का विद्यालय लखनऊ	40.00
16.	संकेत मूक बधिर जूनियर हाईस्कूल मोहान रोड लखनऊ का इन्टरमीडिएट तक उच्चीकरण	40.00
17.	स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज	146.75
18.	स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक / बालिका विद्यालय	608.00
19.	मानसिक मन्दित बालक / बालिकाओं के लिये ममता विद्यालय	1000.00
20.	संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज गोरखपुर	50.00
21.	मुख्यालय / मण्डलीय / जिलाकार्यालयको का अधिष्ठान 14 मोटर गाडियों का क्रम	14.00
22.	स्पर्श राजकीय बालक इन्टर कालेज गोरखपुर	50.00

पूँजीगत पक्ष का योग—

15804.43

दुकान निर्माण (ऋण पक्ष)

79.53

अनुदान संख्या-79 के (राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष) का कुल योग

104886.14

अनुदान संख्या-81 (टी0एस0पी0)

धनराशि—(लाख रू0) में

1.	नेत्रहीन मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)	2.00
योग		2.00

अनुदान संख्या-83 (एस0सी0पी0)

धनराशि—(लाख रू०) में

1.	नेत्रहीन मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)	900.00
2.	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यन्त्र आदि खरीदने के लिए सहायता (जिला योजना)	240.00
योग		1140.00
कुल योग		106028.14

25/05/20

26/05/20

27/05/20

28/05/20

29/05/20

30/05/20

31/05/20

20/06/20

21/06/20

22/06/20

(संविधानसूचक) 18-संख्या 18-संख्या 18-संख्या 18

23/06/20

24/06/20

25/06/20

तालिका-क
वित्तीय आवश्यकताओं कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण

अनुदान संख्या 79

धनराशि लाख रु० में

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	पुनरीकृत अनुमान 2018-2019	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020
1	2	3	4	5	6
1	03-मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान (2235 02 101 03 00)	1845.22	1546.81	1458.97	2580.26
2	04-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालाए व प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 04 00)	190.34	244.42	234.47	259.29
3	05-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक संत आदि खरीदने के लिए सहायता (2235 02 101 05 00)	2761.54	3090.00	3090.00	3500.00
4	06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र	130.87	91.15	90.30	153.09
5	07-नैत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान	53564.32	56650.00	56650.00	61200.00
6	08-दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवा योजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	10.20	13.00	12.08	13.00
7	09-विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उ०प्र० रा०स०प०नि० को प्रतिपूर्ति	1200.00	1236.00	1236.00	1500.00
8	10-विकलांगों को उ०प्र० रा० प० नि० की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अग्रशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति	1990.20	2000.00	2000.00	2000.00
9	11-मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वेच्छिक संस्थाओं को सहायता	168.32	500.00	500.00	500.00
10	12-डिस्टेक्सिया व अटेंशन डेफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण	19.99	20.00	18.40	20.00
11	13- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना	24.08	26.51	24.39	26.51
12	14-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन	1864.66	2278.85	2150.02	2920.80
13	15-विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना	72.16	85.16	81.20	152.25
14	17-राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	18.08	3.00	2.76	4.00
15	18-सिपड' योजनान्तर्गत सार्वजनिक/विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित यातावरण तथा विभागीय वेब साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	8.71	0.01	0.01	0.01
16	19-"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	21.64	50.00	46.00	50.00
17	20-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटोइज्ड ट्राई-साइकिल	0.00	0.00	0.00	3256.00
18	22-लखनऊ में 'ब्रेल प्रेस' की स्थापना (2235 02 101 22 00)	15.88	15.46	14.91	217.85
19	25-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00)	16.27	23.01	22.98	23.01
20	26-अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00)	28.73	62.71	62.47	73.20
21	27-मानसिक मन्दित बच्चों/विकलांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र	15.13	21.53	21.51	35.76
22	30-डा० शकुन्तला मिश्रा, उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ	2100.00	3591.58	3591.58	4000.00
23	31-बचपन, नर्सरी स्कूलों की स्थापना	288.52	332.80	308.00	862.30
24	32-कुछावरस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान	1777.07	1800.00	2270.70	3000.00
25	33-मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालिकाओं के लिए राजकीय विद्यालय "ममता" (2235 02 101 33 00)	2.19	53.60	49.31	100.60
26	34-विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा	29.95	30.00	27.60	60.00
27	35-दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन (2235 02 101 35 00)	0.00	0.00	460.00	500.00
28	36-बचपन डे-केयर सेन्टर्स 42-अन्य व्यय		0.00	0.00	1055.25
29	107-03-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वेच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	4.48	33.00	33.00	35.00
30	800-03-शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन	260.50	264.00	264.00	264.00
31	800-04-असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	71.97	638.60	638.60	640.00
	योग 2235	68501.02	74701.20	75359.26	89002.18

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2017-18	आय-व्यय अनुमान 2018-2019	पुनरीकृत अनुमान 2018-2019	आय-व्यय अनुमान 2019-2020
1	2	3	4	5	6
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय					
1	0101-विकलांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु "सिपडा- 1995" का कार्यान्वयन (के.100/रा.0-के.) 24-वृहद निर्माण कार्य	69.86	500.00	500.00	500.00
2	03-राजकीय कौशल विकास केन्द्र, आगरा का भवन निर्माण	130.00	0.00	0.00	0.00
3	04-"सुगम्य भारत अभियान" योजनात्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाया जाना (के.100/रा.0-के.) 24-वृहद निर्माण कार्य	2706.87	6000.00	6000.00	6000.00
4	05-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	3049.76	1840.00	1840.00	2200.00
5	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	800.00
	योग(05)	3049.76	1840.00	1840.00	3000.00
6	06-संकेत राजकीय मूक, बधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	158.72	158.72	218.00
7	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	167.72
	योग(06)	0.00	158.72	158.72	385.72
8	07-संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इन्टर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	298.00	91.91	91.91	148.96
9	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	72.00
	योग(07)	298.00	91.91	91.91	220.96
10	08-शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	500.00	500.00
11	09-राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	1800.00
12	10-प्रयास राजकीय शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का विद्यालय, लखनऊ 26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	40.00
	योग(10)	0.00	0.00	0.00	40.00
13	11-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इन्टर कालेज की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	743.57	394.72	394.72	0.00
14	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	100.00
	योग(11)	743.57	394.72	394.72	100.00
15	12-संकेत मूक बधिर जूनियर हाईस्कूल, मोहान रोड, लखनऊ का इन्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00
16	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	40.00
	योग(12)	0.00	0.00	0.00	40.00
17	13-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इन्टर कालेज 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	146.75
18	14-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक/बालिका विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	608.00
19	15-मानसिक मंदित बालक/बालिकाओं के लिए "ममता" विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	1000.00
20	16-संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	50.00
21	19-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 24-वृहद निर्माण कार्य	1330.52	630.41	630.41	49.00
22	20-मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान 14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00	0.00	0.00	14.00
23	23-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2301- विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	1000.00	166.57	166.57	500.00
24	23-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2302 कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	974.84	974.84	974.84	500.00
	योग(23)	1974.84	1141.41	1141.41	1000.00

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2017-18	आय-व्यय अनुमान 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	आय-व्यय अनुमान 2019-2020
1	2	3	4	5	6
25	25-स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	50.00
26	26-प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	200.00	250.00	250.00	250.00
27	28-जनपद सोनभद्र में संकेत मूक, बधिर बालकों के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24-वृहद निर्माण कार्य	400.00	143.07	143.07	0.00
28	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	25.00
	योग(28)	400.00	143.07	143.07	25.00
29	29-जनपद कुशीनगर में संकेत मूक, बधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24-वृहद निर्माण कार्य	400.00	49.82	49.82	0.00
30	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	25.00
	योग(29)	400.00	49.82	49.82	25.00
30	31-मानसिक मंदित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों में निर्माण कार्य 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	28.30	28.30	0.00
	योग 4235	11303.42	11228.36	11728.36	15804.43
1	6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज 02-समाज कल्याण 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 03-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवास दुकान निर्माण 30-निवेश/ऋण	72.23	79.53	79.53	79.53
	योग 6235	72.23	79.53	79.53	79.53
अनुदान संख्या 81 लेखाशीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना (2235-02-796-03-20)					
क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2017-18	आय-व्यय अनुमान 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	आय-व्यय अनुमान 2019-2020
1	2	3	4	5	6
1	05-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	1.98	2.00	2.00	2.00
	योग 81	1.98	2.00	2.00	2.00
अनुदान संख्या 83					
क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2017-18	आय-व्यय अनुमान 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	आय-व्यय अनुमान 2019-2020
1	2	3	4	5	6
1	03-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	899.24	900.00	900.00	900.00
2	08-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	204.59	240.00	240.00	240.00
	योग 83	1103.83	1140.00	1140.00	1140.00

अनुदान संख्या 79

तालिका-ख
उद्देश्यवार वर्गीकरण

धनराशि लाख रु० में

क्र०सं०	मद का नाम	वास्तविक व्यय 2017-18	आय व्ययक अनुमान 2018-19	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	2648.23	2672.89	2485.61	3181.61
2	02-मजदूरी	92.29	94.60	100.06	148.50
3	03-मंहगाई भत्ता	160.16	267.30	323.26	477.25
4	04-यात्रा भत्ता	13.72	13.40	13.40	18.35
5	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	7.92	4.10	6.56	8.50
6	06-अन्य भत्ता	115.65	164.24	161.78	37.97
7	07-मानदेय	43.63	57.81	57.81	63.95
8	08-कार्यालय व्यय	51.68	53.80	53.80	68.10
9	09-विद्युत देय	110.94	149.45	149.45	180.20
10	10-जलकर/जलप्रभार	0.67	3.04	3.04	4.94
11	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	31.49	32.67	32.67	41.25
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	34.92	35.25	35.25	48.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	11.69	16.60	16.60	18.20
14	14-कार्यालय प्रयोगार्थ गाड़ियों का	7.29	14.00	14.00	14.00
15	15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	148.06	40.56	40.56	179.00
16	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवओं के लिए भुगतान	268.75	86.72	86.72	21.60
17	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	16.47	10.16	10.16	15.16
18	18-प्रकाशन	2.11	3.42	3.42	5.55
19	19-विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय	0.00	0.01	0.01	1.00
20	20-सहायता अनुदान (गैर वेतन)	61521.33	68066.60	68537.30	76895.00
21	21-छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	214.38	210.00	210.00	210.00
22	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	0.69	0.80	0.80	1.80
23	24-बृहद निर्माण कार्य	11303.42	11228.36	11728.36	14737.71
24	26-मशीन साज सज्जा एवं उपकरण	7.00	9.80	9.80	1272.72
25	29-अनुरक्षण	44.58	57.60	57.60	309.50
26	30-निवेश/ऋण	72.23	79.53	79.53	79.53
27	31-सहायता अनुदान-सामान्य वेतन	600.00	1560.00	1560.00	2000.00
28	39-आषधि रसायन	4.89	8.60	8.60	8.60
29	41-भोजन व्यय	27.48	52.60	52.60	90.10
30	42-अन्य व्यय	2218.70	524.49	942.53	2664.49
31	43-सामग्री सम्पूर्ति	26.36	39.50	39.50	52.50
32	44-प्रशिक्षण व्यय	0.57	2.95	2.95	3.70
33	45-अवकाश यात्रा भत्ता	0.70	4.15	4.15	4.65
34	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	22.56	18.75	18.75	27.50
35	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्य	26.93	27.80	27.80	35.85
36	49-चिकित्सा व्यय	19.53	8.80	8.80	25.00
37	51-वर्दी व्यय	0.33	0.88	0.88	0.88
38	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	211.28	211.28	219.97
39	53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	176.58	176.58	1000.00
40	55-मकान किराया भत्ता	0.00	0.00	0.00	250.34
41	56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00	43.77
42	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.00	0.00	0.00	419.40
	योग	79877.35	86009.09	87271.97	104886.14

वित्तीय संसाधनों के स्रोत

धनराशि लाख रु० में

क्रम संख्या	मद	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	पुनरीकृत अनुमान 2016-2019	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020
1	2	3	4	5	6	7
1	79	2235	68501.02	74701.20	75359.26	89002.18
2	79	4235	11303.42	11228.36	11728.36	15804.43
3	79	6235	72.23	79.53	79.53	79.53
4	81	2235	1.98	2.00	2.00	2.00
5	83	2235	1103.83	1140.00	1140.00	1140.00
	कुल योग		80982.48	87151.09	88309.15	106028.14

वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य

1. विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों हेतु विद्यालयों / छात्रावासों का संचालन

मूक बधिरों की शिक्षा एवं पुनर्वासन के उद्देश्य से आगरा, बरेली, लखनऊ, फर्रुखाबाद तथा गोरखपुर में एक-एक मूक बधिर विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए लखनऊ, में बालकों एवं बालिकाओं के लिए एक-एक एवं गोरखपुर, बॉदा में बालकों के लिए तथा सहारनपुर में बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रदेश में मानसिक रूप से अविकसित बालकों / बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों (मूक बधिर मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधितों को छोड़कर) के लिये प्रतापगढ तथा लखनऊ में एक-एक विद्यालय संचालित है। विद्यालय के छात्रों के भरण पोषण का व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु जनपद लखनऊ तथा गोरखपुर में बालक तथा बालिकाओं के लिये एक-एक एवं मेरठ तथा प्रयागराज में बालकों के लिये एक-एक छात्रावास संचालित है।

इन विद्यालयों में निर्धन दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिन्हें विभाग की ओर से भरण पोषण तथा छात्रावास की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के छात्रावास में निर्धन विद्यार्थी ही प्रवेश पाते हैं, जिनमें छात्रावास शुल्क के रूप में मात्र रु० 50 प्रतिमाह प्राप्त किया जाता है, परन्तु अन्य सुविधाएं यथा फर्नीचर, कुर्सी, मेज सुरक्षा बिजली, पानी तथा भोजन आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिये उक्त 16 विद्यालयों एवं 6 छात्रावासों के संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु० 2920.80 लाख का प्राविधान है।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों / दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावासीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इसी प्रकार जनपद प्रयागराज एवं उन्नाव में संचालित कौशल विकास केन्द्रों को लखनऊ स्थित मोहान रोड पर विभागीय भवनों में स्थानान्तरित किया गया है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु० 2000 /- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2. कौशल विकास केन्द्र

बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर, बॉदा, वाराणसी एवं आगरा में एक-एक आश्रित कर्मशाला संचालित है। प्रत्येक कर्मशाला में स्वीकृत क्षमता 50 है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त कर्मशालाओं में कुर्सी बुनाई,

मोमबत्तियों, कम्प्यूटर, आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन कर्मशालाओं में निश्चित आय सीमा के दिव्यांगजन को निःशुल्क प्रशिक्षण आवास भोजन आदि प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति स्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 259.29 लाख का प्राविधान है।

3. बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं मेरठ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक-एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगजन को बाजार की माँग के अनुरूप अल्प अवधि के प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। इन केन्द्रों में दिव्यांगजन को निश्चित समयावधि का अनावसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के लिये आवश्यक मशीन-उपकरण, संयन्त्र, कच्चा माल तथा प्रशिक्षक के मानदेय एवं इन केन्द्रों के संचालन में लगे कार्मिकों के मानदेय आदि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 23.01 लाख का प्राविधान है।

4. बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना एवं संचालन:-

03से 07 वर्ष आयु वर्ग तक के विभिन्न दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों को सामान्य स्कूलों में प्रवेश योग्य तैयार किये जाने हेतु जनपद लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा, सहारनपुर, झाँसी, बरेली, गौतमबुद्धनगर (प्रत्येक 30 बच्चों हेतु) बचपन डे केयर सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। संचालित बचपन डे केयर सेन्टर्स में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग बच्चों को अनावसीय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु निःशुल्क यातायात तथा पुस्तकें उपकरण यूनिफार्म जूता, के साथ-साथ उनके केन्द्रों में तैनात विशेष शिक्षकों एवं सहयोगी कार्मिकों को मानदेय दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में समस्त मण्डल मुख्यालयों पर बचपन नर्सरी केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कुल रू0 862.30 लाख का बजट प्राविधान है।

तीन से सात वर्ष के आयु वर्ग के विभिन्न दिव्यांग से ग्रसित बच्चों को सामान्य स्कूलों में प्रवेश हेतु तैयार किये जाने हेतु 18 जनपदों में केन्द्र स्थापित है। 07 नवीन बचपन डे-केयर सेन्टर की स्थापना का संचालन हेतु रू. 1055.25 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

5. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) :-

देश में पहली बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित मानसिक मंदित के क्षेत्र में बी0एड0 स्पेशल एवं एम0एड0 स्पेशल के साथ स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 08 संकाय एवं 28 विभाग बनना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है, जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात् कुल 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिये आरक्षित की गई है। यह विश्वविद्यालय समस्त श्रेणी के दिव्यांग

विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में उनकी दिव्यांगता के अनुरूप सुलभ शिक्षा प्रदान करता है तथा अपने आप में देश का एक अनुकरणीय संस्थान है। विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन आदि प्रदान किया जाता है, अन्य श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को भी अल्प शुल्क में अध्यापन कराया जाता है। उक्त कार्यों में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति एवं विश्वविद्यालय के शेष भवनों के निर्माण आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रू0 4000.00 लाख तथा पूंजीगत निर्माण हेतु रू0 49.00 लाख का प्राविधान है। डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 500.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 500.00 लाख का प्राविधान है।

6. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग एवं निराश्रित व्यक्तियों जिनके जीवन यापन के लिये स्वयं का न तो कोई साधन है न ही वह किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण पोषण हेतु दिव्यांग भरण पोषण योजनान्तर्गत वर्तमान में रू0 300/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जा रहा है। भरण-पोषण हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक 914/65-2-2017-21-96 दिनांक 06 जून 2017 द्वारा पेंशन वृद्धि रू0 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर रू0 500/- प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 61200.00 लाख व एस0सी0पी0 पक्ष में रू0 900.00 लाख तथा टी0एस0पी0 हेतु रू0 2.00 लाख का प्राविधान है।

7. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम रू0 8000/- का अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामान्य पक्ष में रू0 3500.00 लाख तथा एस0सी0पी0 पक्ष में रू0 240.00 लाख का प्राविधान है।

8. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवती के दिव्यांग अथवा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में प्रोत्साहन पुरस्कार देने की व्यवस्था है। विवाहित जोड़े में महिला के अथवा दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 20000/- तथा केवल पुरुष के दिव्यांग होने पर रू0 15000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। शासन के पत्र संख्या 702/65-2-2017-03/96 दिनांक 08 जून, 2017 द्वारा दंपति में पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर देय पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि कर रू0 35000/- कर दी गयी है।

उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु रू0 264.00 लाख का प्राविधान है।

9. दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना:—

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु रू0 20000 /— की धनराशि दुकान निर्माण हेतु अथवा रू0 10000 /—की धनराशि दुकान संचालन हेतु देने की व्यवस्था है। रू0 20000 /— में से रू0 15000 /— की धनराशि तथा रू0 10000 /— में से रू0 7500 /— की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में एवं क्रमशः रू0 5000 /— एवं रू0 2500 /— अनुदान के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019—20 में अनुदान हेतु रू0 26.51 लाख तथा ऋण हेतु रू0 79.53 लाख का प्राविधान है।

10. दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को क्षतिपूर्ति :—

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र दिव्यांगजन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदान की जा रही है, जिनको विभाग की ओर से इस कार्य में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, उक्त देयताओं की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2019—20 में गत वर्षों की लम्बित देयताओं हेतु रू0 2000.00 लाख तथा चालू वित्तीय वर्ष की देयताओं हेतु रू0 1500.00 लाख अर्थात् कुल रू0 3500.00 लाख का प्राविधान है।

11. दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किये जाते हैं। पुरस्कार सामग्री क्रय करने, नकद धनराशि प्रदान करने तथा इस हेतु कार्यक्रम आयोजित करने आदि की लिये वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु रू0 13.00 लाख का प्राविधान है।

12. स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता

दिव्यांग सशक्तीकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार—प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसके लिये विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावली में उद्धृत शर्तों के अन्तर्गत चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु रू0 35.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

13. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019—20 में कुल रू0 500.00 लाख का प्राविधान है।

14. दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना:—

राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू0 4.00 लाख का प्राविधान है।

15. दिव्यांगजन हेतु गोरखपुर में मनोविकास केन्द्र की स्थापना

जनपद गोरखपुर में इंसेफलाइटिस के प्रकोप के कारण काफी अधिक संख्या में बच्चे मानसिक दिव्यांगता के शिकार हो रहे हैं। जनपद गोरखपुर में ऐसे बच्चों के मानसिक विकास हेतु मनोविकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों के माध्यम से संस्थागत सेवायें यथा फिजियोथेरेपी, वोकेशनल थेरेपी, साइको कान्सलिंग, कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण आदि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू0 35.76 लाख का प्राविधान है।

16. अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांगजन संस्थान वाराणसी का संचालन :-

अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांगजन संस्थान वाराणसी में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन को ओपीडी की सुविधा के साथ-साथ उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है, साथ ही इसके माध्यम से बचपन डे केयर सेन्टर की पद्धति पर विद्यालय भी संचालित किया जाता है। उक्त संस्थान में मंदबुद्धि विकास केन्द्र, दिव्यांग केन्द्र व कम्यूनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सेन्टर के व्यय वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू0 73.20 लाख का प्राविधान है।

17. कुष्ठावस्था पेंशन योजना :-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बीपीएल सीमा के अन्तर्गत आते हो एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हो को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रू0 2500/- प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू0 3000.00 लाख का वजट प्राविधान है।

18. ब्रेल प्रेस का संचालन :-

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पठन पाठन हेतु सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 217.85 लाख का प्राविधान है।

19. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण।

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदन संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये रू० 20.00 लाख का प्राविधान है।

20. दिव्यांगजन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा-1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू० 500.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू० 0.01 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

21. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का

एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रू० 6000.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू० 50.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

22. असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान

दिव्यांगजनो हेतु निर्धारित 21 प्रकार की सर्जरियों हेतु असहाय विकलॉग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपया 638.60 लाख की व्यवस्था की गयी थी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रूपया 640.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

23. शासकीय एवं जनउपयोगी भवनो में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन

दिव्यांगजनो हेतु शासकीय एवं जन उपयोगी भवनो में सुचारू रूप से आने जाने हेतु रैम्प के निर्माण हेतु अनुपूरक माँग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपया 500.00 लाख की बजट व्यावस्था की गयी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रूपया 500.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24. स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज मिर्जापुर व लखीमपुर की स्थापना

स्पर्श राजकीय दृष्टि बाधित बालिका इण्टर कालेज मिर्जापुर व लखीमपुर के सफल संचालन हेतु मशीन और साज सज्जा/उपकरण संयन्त्र क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रूपया 100.00 लाख का प्राविधान किया गया।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, 30प्र0 में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्र० सं०	पदों का वर्गीकरण पदनाम सहित	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	निदेशक	1	1	0
2	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0
3	संयुक्त निदेशक	4	2	2
4	सहायक लेखाधिकारी	2	2	0
5	उपनिदेशक	20	11	9
6	प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज	6	5	1
7	प्रधानाचार्य, हाईस्कूल	5	2	3
8	प्रधानाचार्य, जूनियर हाईस्कूल	3	3	0
9	अधीक्षक	19	3	16
10	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	75	38	37
11	मनोवैज्ञानिक	2	0	2
12	प्रबंधक (ब्रेल प्रेस)	1	0	1
13	लेखाकार	64	10	54
14	सहायक लेखाकार	23	10	13
15	प्रवक्ता	48	37	11
16	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	4	2	2
17	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9	4	5
18	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
19	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1
20	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	2	0	2
21	व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञानी	2	0	2

22	वरिष्ठ लिपिक/सहायक	109	87	22
23	कर्मशाला पर्यवेक्षक ग्रेड-1	3	0	3
24	कर्मशाला पर्यवेक्षक ग्रेड-2	4	1	3
25	लाइब्रेरियन	7	0	7
26	नर्स/कम्पाउण्डर/हास्टल वार्डेन	14	3	11
27	अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड)	91	57	34
28	अध्यापक जे0टि0सी0/संगीत	51	43	8
29	संगीत अध्यापक एच0टी0सी0	4	0	4
30	मोबिलिटी अध्यापक	7	0	7
31	छात्रावास अधीक्षक	8	1	7
32	प्रशिक्षक ग्रेड-3	13	3	10
33	प्रशिक्षक ग्रेड-2	12	1	11
34	प्रशिक्षक ग्रेड-1	13	2	11
35	प्रोजेक्टर आपरेटर	2	0	2
36	सैल्समेन	1	1	0
37	आशुलिपिक	16	1	15
38	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए, ब्रेल प्रेस	1	0	1
39	कनिष्ठ सहायक	128	82	46
40	प्रूफ रीडर, ब्रेल प्रेस	1	0	1
41	स्टोर कीपर, ब्रेल प्रेस	1	0	1
42	वाहन चालक	14	8	6
43	प्रयोगशाला सहायक	2	0	2
	योग:-	795	419	376
44	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	226	61 92 153	165

**डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ**

**विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकवृन्द/अधिकारीगण/
कर्मचारीगण का विवरण**

माह जनवरी, 2018

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार			अन्य विवरण
					प्रतिनियुक्ति	नियमित	संविदा	
1	कुलपति	01	01	00	00	01	00	
2	वित्त अधिकारी	01	01	00	00	01	00	
3	कुलसचिव	01	00	01	00	00	00	अतिरिक्त प्रभार
4	प्रोफेसर	33	12	21	00	12	00	
5	रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	64	23	41	00	23	00	
6	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	139	48	91	00	48	00	
7	विशेष शिक्षक	06	04	02	00	04	00	
8	उप कुलसचिव	01	01	00	00	01	00	
9	सहायक कुलसचिव	02	02	00	00	02	00	
10	सिस्टम एनालिस्ट	01	01	00	00	01	00	
11	प्रोग्रामर ग्रेड-1	02	00	02	00	00	00	
12	प्रोग्रामर ग्रेड-2	01	00	01	00	00	00	
13	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	00	02	00	00	00	
14	प्रशासनिक अधिकारी	05	00	05	00	00	00	
15	व्यवस्थाधिकारी	01	00	01	00	00	00	
16	जन सम्पर्क अधिकारी	02	00	02	00	00	00	
17	प्लेसमेन्ट अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
18	सम्परीक्षा अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
19	विधि अधिकारी	01	01	00	00	01	00	
20	क्रीडा अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
21	सहायक विधि अधिकारी	02	02	00	00	02	00	
22	जन सम्पर्क सहायक सह स्वागती	02	00	02	00	00	00	
23	क्रीडा सहायक	01	00	01	00	00	00	
24	प्रधान सहायक	09	00	09	00	00	00	
25	वरिष्ठ सहायक	54	23	31	00	23	00	

26	सम्परीक्षक	04	00	04	00	00	00	
27	सहायक लेखा कार	12	04	08	00	04	00	वर्तमान में लेखाकार
28	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	02	00	02	00	00	00	
29	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड -1	02	00	02	00	00	00	
30	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड -2	09	04	05	00	04	00	
31	आशुलिपिक	11	02	09	00	02	00	
32	सहायक स्टोर कीपर	02	00	02	00	00	00	
33	आर्ट एवं क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर	04	00	04	00	00	00	
34	संगतकर्ता	02	00	02	00	00	00	
35	मोबिलिटी ट्रेनर	01	01	00	00	01	00	
36	मनोवैज्ञानिक (एम.आर. विभाग तथा पुनर्वसन एवं बहुविकलांग विभाग)	02	01	01	00	01	00	
37	स्पीचथेरेपिस्ट	01	01	00	00	01	00	
38	विधि सहायक	04	00	04	00	00	00	
39	कनिष्ठ सहायक	113	02	111	00	02	00	
40	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-2	02	00	02	00	00	00	
41	प्रयोगशाला सहायक	11	00	11	00	00	00	
42	डिमान्सट्रेटर	11	00	11	00	00	00	
43	चिकित्सालय अधीक्षक	01	01	00	01	00	00	
44	नेत्र चिकित्सक	01	00	01	00	00	00	
45	मनोचिकित्सक	01	00	01	00	00	00	
46	अस्थि रोग विशेषज्ञ	01	00	01	00	00	00	
47	कान-नाक-गला विशेषज्ञ	01	00	01	00	00	00	
48	फिजियोथेरेपिस्ट	02	01	01	00	01	00	
49	फार्मासिस्ट	01	00	01	00	00	00	
50	ओ.टी.टेक्नीशियन	02	00	02	00	00	00	
51	अपर वित्त अधिकारी	02	00	02	00	00	00	
52	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	00	01	00	00	00	
53	सूचीकार	01	00	01	00	00	00	
54	सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	00	01	00	00	00	
55	अवर अभियन्ता सिविल / विद्युत	02	00	02	00	00	00	
56	तकनीकी सहायक विद्युत / सिविल	02	00	02	00	00	00	
57	वाचक	02	00	02	00	00	00	
58	वाहन चालक	04	04	00	00	04	00	
59	चतुर्थ श्रेणी	20	20	00	00	20	00	
60	वार्ड ब्वाय	01	01	00	00	01	00	

61	अटेन्डेंट	01	01	00	00	01	00	
62	इन्स्ट्रक्टर इन सर्जिकल सूज एण्ड लेदर वर्क	01	00	01	00	00	00	
63	स्पीच पैथोलोजिस्ट / आडियोलॉजिस्ट ग्रेड-1	01	00	01	00	00	00	
64	स्पीच पैथोलोजिस्ट / आडियोलॉजिस्ट ग्रेड-2	01	00	01	00	00	00	
65	ईयर मोल्ड टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
66	हियरिंग एण्ड टेक्नीशियन	01	00	01	00	00	00	
67	वर्कशाप मैनेजर	01	00	01	00	00	00	
68	असिस्टेंट वर्कशाप मैनेजर	01	00	01	00	00	00	
69	इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग(आर0डी सेक्शन)	01	00	01	00	00	00	
70	सीनियर प्रोथेटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
71	सीनियर आथोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
72	प्रार्थोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
73	आर्थोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
74	रिहैबिलिटेशन आफिसर	01	00	01	00	00	00	
75	सीनियर प्रोथेटिस्ट टेक्नीशियन	01	00	01	00	00	00	
76	सीनियर आर्थोटिस्ट टेक्नीशियन	01	00	01	00	00	00	
77	सीनियर लेदर टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
78	जूनियर प्रास्थेटिस्ट टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
79	जूनियर आर्थोटिस्ट टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
80	जूनियर लेदर टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
81	शू-मेकर	01	00	01	00	00	00	
82	काब्लर	01	00	01	00	00	00	
83	काउंसलर	02	00	02	00	00	00	
योग		597	162	435	01	161	00	0

आयुक्त दिव्यांगजन, उ0प्र0 में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	आयुक्त	01	01	—	
2	उपायुक्त	01	00	01	प्रतिनियुक्ति पर
3	उपायुक्त, (संविदा के आधार पर)	04	01	03	संविदा पर
3	विधि अधिकारी	01	01	—	पदोन्नति
4	सहा0 विधि अधिकारी	01	—	01	—
5	वैयक्तिक सहायक	01	—	01	पदोन्नति / सेवा स्थानान्तरण
6	वरि0 सहायक	02	02	00	पदोन्नति
7	आशुलिपिक	05	03	02	सीधी भर्ती
8	कनि0 सहायक	05	02	03	सीधी भर्ती
9	ब्रेललिपि रीडर	01	—	01	सीधी भर्ती
10	वाहन चालक	01	01	—	—
11	चपरासी	05	05	00	आउट सोर्सिंग
12	सफाई कर्मचारी	01	01	—	आउट सोर्सिंग
योग		29	17	12	

परिशिष्ट-ख
प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट

